क्षेत्रीय अधिकारी

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

फैजाबाद-224001

संदर्भ संख्या 2020/NOC/2015 दिनांक 23/1/15

सेवा में,

मेसर्स एस.एस. फ्यूल सेन्टर,

ग्राम पातूपुर, बीकापुर,

फैजाबाद

विषय ः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानो के अन्तर्गत के स्थापनार्थ सहमति |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक **27.12.2014** का संदर्भ लें | आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है |

1- अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरण के लिये ही निर्गत किया जा रहा है |

(क) स्थल ः **गाटा नं0- 474, ग्राम पातूपुर, बीकापुर, फैजाबाद |**

(ख) भण्डारण ः **डीजल 3500 लीटर एवं पेट्रोल 1500 लीटर भण्डारण किया जायेगा |**

(ग) मुख्य कच्चे माल ः --

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा ः शून्य |

(ङ) प्रयुक्त ईधन ः **7.5 के.वी.ए. के कैनोपीयुक्त डी.जी. सेट हेतु डीजल का प्रयोग किया जायेगा|**

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा |

2- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पटिटका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें |

3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नही करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें | जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जायें | यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है |

4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये |

V. P. Singh
Assistant Manager (R.S.) Faizabad S.A
Indian Oil Corporation Ltd. (MD)
Gorakhpur Divisional Office,
Gorakhpur

...2

5- घरेलू उत्प्रवाह जिसकी मात्रा 0.1 कि0ली0/दिन से अधिक नहीं होगी, को सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर निस्तारित किया जाये |

6- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित संयंत्रों तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में एक माह के अन्तर्गत अवश्य प्रस्तुत की जाये |

7- उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना प्रस्ताव के अनुसार इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये जिससे उत्सर्जन बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे |

8- उद्योग परिसर में 33 प्रतिशत भूभाग में वृक्षारोपड़ किया जाय तथा हरित पट्टिका भी विकसित की जाये |

9- उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करने हेतु उचित स्थान का चयन कर सूचना प्रेषित की जाये |

10- उद्योग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्थापित की जाये | उक्त की डिजायन डिटेल एक माह में प्रेषित करना सुनिश्चित करें |

11- संचालन से पूर्व ट्रायल उत्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्रों के साथ जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये |

12- उद्योग द्वारा बोर्ड से परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु प्राधिकार प्राप्त किया जाये |

13- इकाई द्वारा पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के कमांक 37 एवं बोर्ड द्वारा जारी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये |

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जायेगा | बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये | उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संवंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में एक माह के अन्तर्गत प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेपित की जाये | अनुपलन आख्या नियमित प्रेपित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी |

भवदीय

(राम गोपाल)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या ..../एन0ओ0सी0

तद् दिनांक ....

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) उ0प्र0 प्रदूपण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है |

क्षेत्रीय अधिकारी

V. P. Singh
Assistant Manager (R.S.) Faizabad S.A
Indian Oil Corporation Ltd. (MD)
Gorakhpur Divisional Office
Gorakhpur